3

प्रेषक.

आ**युक्त,** लंखनऊ मण्डल

सेवा में,

सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र, प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

पत्र संख्या/आशु0/एन0ओ०सी0/6575-80 /2013-14 दिनांक : २८/८/2013 विषयः एमिटी इण्टरनेशनल स्कूल, विराजखण्ड-5, गोमतीनगर, लखनऊ को सी0बी०एस०ई० बोर्ड नई

दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में। महोदय

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये सूचित करना है कि उपर्युक्त संदर्भित विद्यालय को सीoबीoएसoईo, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करनें में आपत्ति नहीं है :-

- 1. विद्यालय की पंजीकृत समिति का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे छ०प्र०, माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मॉग नहीं की जायेगी।
- 5. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वैतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 6. कर्मचारियों की सेवा-विनियमावली बनायी जायेगी और उन्हें सहायता-प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
- राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- 8. विद्यालय के अभिलेख निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखे जायेंगे।

T. P.S. Chaukan

Dr. T. P. S. Chauhan School Manager Ms. Rachna Mishra Principal

T. P.S. Charles

Dr. T. P. S. Chauhan School Manager

Ms. Rachna Mishra Principal

- 9. जनहित याचिका संख्या-483/2004 अवनीश मेहरोत्रा प्रति यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.4,2009 के अनुपालन में विद्यालय द्वारा, सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त होने के पूर्व, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप हैं एव उसमें अग्निशमन यन्त्र स्थापित हो चुका है तथा स्टाफ अग्निशमन उपायों हेत् भलीभॉति
- 10. उपर्युक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/ परिवर्द्धन नही किया जायेगा।

2- उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करनें में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

( संजीव सरन )

आयुक्त

लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या / आशु० / एन०ओ०सी० / ८५ नेऽ - ८० / २०१३-१४ दिनांकित्। प्रतिलिपि- निम्नांकित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित :-

- 1. शिक्षा सचिव, (माध्यमिक शिक्षा) उत्तर प्रदेश, शासन।
- 2. शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 3. जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।
- प्रबन्धक, एमिटी इण्टरनेशनल स्कूल, विराजखण्ड-5, गीमतीनगर, लखनऊ ।

6. गार्ड फाइल।

श्रीमती( ए०पी०वर्मा ) संयुक्त शिक्षा निदेशक,

षष्ठ मण्डल, लखनऊ।

Dr. T. P. S. Chauhan School Manager

Ms. Rachna Mishra Principal